POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनांक 13.07.2024

1.थाना साइबर क्राइम नोएडा द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध पासपोर्ट व मनी लाड्रिंग की जांच का भय दिखाकर 52,50,000/- रुपये की धोखाधडी करने वाले गैग के 06 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 07 मोबाइल, 01 पोलो कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **13.07.2024** को साइबर क्राइम नोएडा द्वारा मु0अ0सं0 30/2024 धारा 419/420/468/120बी भादवि व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना साइबर क्राइम नोएडा के अंतर्गत 06 शातिर अभियुक्तों 1. किशन पुत्र सोहनलाल 2. लखन पुत्र बाबूलाल 3. महेन्द्र पुत्र पन्नालाल 4. संजय शर्मा पुत्र सुखदेव 5. प्रवीण जागींड पुत्र मोहनलाल 6. शम्भू दयाल पुत्र बुधमल को थाना क्षेत्र लोसल जिला सीकर राजस्थान से **गिरफ्तार** कर कब्जे से अपराध से संबंधित मोबाईल फोन, फर्जी बैंक अकाउंट व 01 लक्जरी कार बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादी को दिनांक 09-05-2024 से 10-05-2024 तक साइबर अपराधियो द्वारा डिजिटल अरेस्ट किया गया तथा वादी को बताया गया कि उसका एक पार्सल उसकी आइडी से विदेश भेजा जा रहा था जो पकड़ा गया है जिसमें अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए व पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड व बड़े पैमाने पर पैसे का लेने देन पाया गया है जो मनी लाड्रिंग के अंतर्गत आता है, जिसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच, आरबीआई बैंक व अन्य एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है। इस प्रकार वादी को डिजिटल अरेस्ट कर उसके पैसों व बैंक खातों की जाँच को गोपनीय बताकर उसके संबंध में किसी से भी बात शेयर ना करने को कहकर / डराकर वादी मुकदमा से 52,50,000/- रुपये को विभिन्न बैक खातो मे जमा/ट्रांसफर कराकर धोखाधडी की गयी। जिसके सम्बन्ध मे दिनांक 14-05-2024 को मु0अ0सं0 30/2024 धारा 419/420 भादवि व 66 डी आई0टी0 एक्ट थाना साइबर क्राइम जनपद गौतमबुद्धनगर बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। विवेचना के क्रम मे प्राप्त साक्ष्यो के आधार पर अभियोग मे जुर्म धारा 468/120 बी भादवि की बढोतरी की गयी।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्तगणो ने पूछताछ मे बताया कि उनके द्वारा बैंक खाते थर्ड पार्टी के माध्यम से कलेक्ट किए जाते है तथा सहयोगी साथियों द्वारा खाता धारकों को फोन/व्हाट्स एप कॉल/स्काइप कॉल करके बताया जाता है कि उसके नाम की आइडी से एक पार्सल विदेश भेजा जा रहा था जिसको मुंबई कस्टम में पकड़ा गया है जिसमें अवैध मादक पदार्थ एमडीएमए, अवैध पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड व बड़े पैमाने पर पैसों का लेनदेन हवाला आदि से संबंधित विवरण पाया गया है। जिसकी जाँच मुम्बई क्राइम ब्रांच आरबीआई व अन्य एजेन्सियो की संयुक्त टीम द्वारा की जा रही है जाँच गोपनीय है। आप इस जाँच के बारे में किसी से जिक्र ना करें अन्यथा आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। इस प्रकार खाता धारक को डिजिटल अरेस्ट कर उसके बैंक खातों से संबंधित समस्त धनराशि को अपने फर्जी बैंकों खातों मे ट्रांसफर करा लिया जाता है जिसको बाद में कैशआउट करके अपने अपने कमीशन के अनुसार आपस में बाँट लिया जाता है। उपरोक्त घटना को करित करने में कुछ लोग खाता धारक के खातों व मोबाइल का विवरण कुछ लोग फर्जी खाता उपलब्ध कराते है कुछ लोग क्राइम ब्रांच व बैंक के अधिकारी बनकर बात करते है तथा पुलिस के सायरन की आवाज को पीछे से बजाते है तथा क्राइम ब्रांच व बैंक के अधिकारी की फर्जी आइडी बनाकर मोबाइल पर भेजते है जिससे डिजिटल अरेस्ट किए गए व्यक्ति को यह विश्वास हो जाए कि उससे बात करने वाला व्यक्ति पुलिस अधिकारी ही है।

अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विभिन्न राज्यों में दर्ज 73 एनसीआरपी (नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल) शिकायतों में इनका प्रयोग करना पाया गया है। उक्त मोबाईल नंबर व खातों का प्रयोग केरल-04 ,तमिलनाडु-04, तेलंगाना-04 ,महाराष्ट्र-13,पंजाब-02, छत्तीसगढ-01, राजस्थान-4 मध्य प्रदेश-03 ,बिहार-03, दिल्ली-03, गुजरात-03 ,कर्नाटक-10, हरियाणा-01, गोवा-01, उत्तर प्रदेश-07, आन्ध्र प्रदेश-08,झारखण्ड-01, उडीस-01, के विभिन्न साइबर अपराधों में किया जाना पाया गया है, अन्य राज्यों में भी इनके द्वारा अपराध कारित किये जाने की सम्भावना है, जिसके सम्बंध में और गहनता से जाँच करते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा उपरोक्त राज्यों में सम्बन्धित को भी सूचना दी जा रही है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. किशन पुत्र सोहनलाल निवासी राजपुरा थाना लोसल जिला सीकर राजस्थान उम्र 23 वर्ष
2. लखन पुत्र बाबूलाल   निवासी ग्राम लाडनूं थाना लाडनूं जिला डीडवाना राजस्थान उम्र 23 वर्ष
3. महेंद्र पुत्र पन्नालाल निवासी ग्राम लाडनूं थाना लाडनूं जिला- डीडवाना राजस्थान उम्र 23 वर्ष
4. संजय शर्मा पुत्र सुखदेव शर्मा निवासी ग्राम जौदा का वासगढ़ के पीछे लाडनूं थाना लाडनूं जिला डीडवाना राजस्थान उम्र 32 वर्ष
5. प्रवीण जागींड पुत्र मोहनलाल जागींड निवासी एस-3 श्री श्याम रेजिडेंसी नियर गोरस भंडार मुरलीपुरा थाना मुरलीपुरा जिला जयपुर राजस्थान उम्र 31 वर्ष
6. शम्भू दयाल पुत्र बुधमल जागींड, निवासी निम्बी जोधा थाना-लाडनूं जिला डीडवाना राजस्थान उम्र 41 वर्ष।

बरामदगी का विवरण--

1. 07 मोबाईल फोन
2. 01 लक्जरी कार मार्का पोलो नम्बर आरजे 14 सीएक्स 0153
3. आधार कार्ड

2.थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **13.07.2024** को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 86/24 धारा 66 सी आईटी एक्ट व धारा 352/351(3) बीएनएस थाना बादलपुर में वांछित अभि0 सोनू उर्फ तंजीर पुत्र वारीस को धूम बाईपास पर निर्माणाधीन फ्लाईओवर, दादरी की तरफ जाने वाले अण्डरपास से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-- अभियुक्त सोनू उर्फ तंजीर द्वारा मुकदमा वादिया के नाम से फेक फेसबुक आईडी व वादिया की पुत्री के नाम से इन्स्टाग्राम आईडी बनाकर वादिया के साथ खींचे गये फोटो अपलोड करने के सम्बन्ध में थाना बादलपुर पर मु0अ0सं0 86/24 धारा 66 सी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था जिसमें अभि0 उपरोक्त फरार चल रहा था।

अभियुक्त का विवरण--

1. सोनू उर्फ तंजीर पुत्र वारीस निवासी कुराला, थाना खुर्जा देहात, बुलन्दशहर उम्र करीब 32 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 86/24 धारा 66 सी आईटी एक्ट व धारा 352/351(3) बीएनएस थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

3. थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा दो बाल अपचारी सहित 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **13.07.2024** को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व बीट पुलिसिंग की सहायता से थाना क्षेत्र के जयपुरियो चौराहा सेक्टर-62, नोएडा से वाहन चोर दो बाल अपचारी व अभियुक्त विशाल पुत्र अशोक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे चोरी की 03 मोटरसाइकिल बरामद की गयी है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त विशाल तथा दो बाल अपचारी शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जिनके द्वारा एनसीआर क्षेत्र से मोटरसाइकिल चोरी की जाती है। पूछताछ पर इनसे बरामद मोटरसाइकिल टीवीएस स्पोर्ट रंग काला सफेद नं0 यूपी16वीडब्लू-1315 के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0-238/2024 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा मोटरसाइकिल पल्सर नं0 डीएल3एसईसी-2261 के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63, नोएडा पर मु0अ0सं0-301/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत है व मोटरसाइकिल पेशन नं0 डीएल9एसवाई-7057 के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की 03 मोटरसाइकिल

अभियुक्त का विवरण--

1. विशाल पुत्र अशोक शर्मा निवासी लाल फ्लैट ममूरा, सेक्टर-66, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष।
2. दो बाल अपचारी

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0-238/2024 धारा 303(2) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।
2. मु0अ0सं0- 301/2024 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-63, नोएडा।
3. मु0अ0सं0-241/2024 धारा 317(2) व 317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-58, नोएडा।